

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना  
पीठासीन अधिकारी:- जीतू कुलहरी, R.A.S.  
राजस्व वाद संख्या: 145/2022 दायर दिनांक 28.04.2022

## वादी

1. भंवरलाल पुत्र स्व० धन्नाराम
2. राजेन्द्र पुत्र स्व० धन्नाराम जाति जाट निवासी तेलिया कुआ की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०।

## प्रतिवादीगण

1. आसूराम पुत्र स्व० किशनाराम
2. गणपतराम पुत्र स्व० किशनाराम
3. उमाराम पुत्र स्व० किशनाराम
4. गोमाराम पुत्र स्व० किशनाराम
5. तिलोकाराम पुत्र स्व० किशनाराम
6. हजारीराम पुत्र स्व० किशनाराम
7. सिणगारी पत्नि स्व० किशनाराम
8. गोविन्दराम पुत्र स्व० जीवणराम
9. प्रेमराम पुत्र स्व० खेमराम
10. मदनाराम पुत्र स्व० खेमराम
11. चम्पा पुत्री स्व० खेमराम
12. किशनीदेवी पत्नि स्व० खेमराम
13. भवानाराम पुत्र मोहनराम
14. नरसाराम पुत्र स्व० धन्नाराम
15. प्रभूराम पुत्र स्व० धन्नाराम
16. गोदुराम पुत्र स्व० धन्नाराम
17. बालूराम पुत्र स्व० धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी तेलिया कुआ की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०
18. ग्राम पंचायत मौलासर
19. मेनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।
20. मेनेजर इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज०
21. तहसीलदार डीडवाना।

## बनाम्

## दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

## उपस्थित:-

1. श्री ओमप्रकाश पूलियां वकील वादीगण।
2. श्री हरफूल राव वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 4, 6, 8, 9, 11 ता 19 की ओर से।

--: अंतिम निर्णय ::--

दिनांक 16.11.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण व प्रतिवादी सं० 01 ता 17 की सिरोली खातेदारी के खेत खसरा सं० 155 रकबा 0.1200 हैक्टे०, खसरा सं० 167 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 168 रकबा 0.1100 हैक्टे०, खसरा सं० 169 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 170 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 171 रकबा 7.3900 हैक्टे० कुल रकबा 7.7700 हैक्टे० व खसरा सं० 148 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 149 रकबा 0.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 150 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 151 रकबा 0.1100 हैक्टे०, खसरा सं० 152 रकबा 12.4200 हैक्टे०, खसरा सं० 153 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 154 रकबा 0.1800 हैक्टे० कुल 12.8600 हैक्टे० जुमले कुल रकबा 20.63 हैक्टे० मौजा तेलिया कुआ की ढाणी पटवार हल्का मौलासर के उक्त खसरा में वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 17 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् पत्र क्रमांक-रीडर/2022/802 दिनांक 24.08.2022 के द्वारा तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।



सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)



तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: 621 दिनांक 12.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। जिसमें पक्षकारान् बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 621 दिनांक 12.09.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

**-:: आदेश ::-**

वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 17 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं० 155 रकबा 0.1200 हैक्टे०, खसरा सं० 167 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 168 रकबा 0.1100 हैक्टे०, खसरा सं० 169 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 170 रकबा 0.0800 हैक्टे०, खसरा सं० 171 रकबा 7.3900 हैक्टे० कुल रकबा 7.7700 हैक्टे० व खसरा सं० 148 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 149 रकबा 0.0700 हैक्टे०, खसरा सं० 150 रकबा 0.0600 हैक्टे०, खसरा सं० 151 रकबा 0.1100 हैक्टे०, खसरा सं० 152 रकबा 12.4200 हैक्टे०, खसरा सं० 153 रकबा 0.0100 हैक्टे०, खसरा सं० 154 रकबा 0.1800 हैक्टे० कुल 12.8600 हैक्टे० जुमले कुल रकबा 20.63 हैक्टे० मौजा तेलिया कुआ की ढाणी पटवार हल्का मौलासर की भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 621 दिनांक 12.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 621 दिनांक 12.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(जीतू कुलहरी) R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी) R.A.S.  
डीडवाना (नागौर)  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इक्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : जीतू कुलहरी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 145/2022 दायर दिनांक 28.04.2022

- वादीगण**
1. भंवरलाल पुत्र स्व0 धन्नाराम
  2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 धन्नाराम जाति जाट निवासी तेलिया कुआ की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

- प्रतिवादीगण**
1. आसूराम पुत्र स्व0 किशनाराम
  2. गणपतराम पुत्र स्व0 किशनाराम
  3. उमाराम पुत्र स्व0 किशनाराम
  4. गोमाराम पुत्र स्व0 किशनाराम
  5. तिलोकाराम पुत्र स्व0 किशनाराम
  6. हजारीराम पुत्र स्व0 किशनाराम
  7. सिणगारी पत्नि स्व0 किशनाराम
  8. गोविन्दराम पुत्र स्व0 जीवणराम
  9. प्रेमराम पुत्र स्व0 खेमराम
  10. मदनराम पुत्र स्व0 खेमराम
  11. चम्पा पुत्री स्व0 खेमराम
  12. किशनीदेवी पत्नि स्व0 खेमराम
  13. भवानाराम पुत्र मोहनराम
  14. नरसाराम पुत्र स्व0 धन्नाराम
  15. प्रभूराम पुत्र स्व0 धन्नाराम
  16. गोदुराम पुत्र स्व0 धन्नाराम
  17. बालूराम पुत्र स्व0 धन्नाराम समस्त जाति जाट निवासी तेलिया कुआ की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
  18. ग्राम पंचायत मौलासर
  19. मेनेजर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मौलासर, तहसील डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।
  20. मेनेजर इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
  21. तहसीलदार डीडवाना।

**बनाम्**  
दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा, व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 16.11.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री ओमप्रकाश पूलिया वकील वादीगण व श्री हरफूल राव वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 6, 8, 9, 11 ता 19 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 17 के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त खेत खसरा सं0 155 रकबा 0.1200 हैक्टे0, खसरा सं0 167 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 168 रकबा 0.1100 हैक्टे0, खसरा सं0 169 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 170 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 171 रकबा 7.3900 हैक्टे0 कुल रकबा 7.7700 हैक्टे0 व खसरा सं0 148 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 149 रकबा 0.0700 हैक्टे0, खसरा सं0 150 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 151 रकबा 0.1100 हैक्टे0, खसरा सं0 152 रकबा 12.4200 हैक्टे0, खसरा सं0 153 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 154 रकबा 0.1800 हैक्टे0 कुल 12.8600 हैक्टे0 जुमले कुल रकबा 20.63 हैक्टे0 मौजा तेलिया कुआ की ढाणी पटवार हल्का मौलासर की भूमि में घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 621 दिनांक 12.09.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 621 दिनांक 12.09.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबा मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.11.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
डीडवाना कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)